

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

FORM NO. III

AAP-A  
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

सुमेर तिहं

बनाम

SDO झोतियां

किस्म मुकदमा

नं. G.C.M.S No. 2023/66

सन 2023

डा. प. आ. धा. 54 LR Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/25	<p>पत्रावली पैसा हुई। प्राचीन व अर्थापन्न अनुपस्थित। पत्रावली कास्ते अद्वयत रिनांक 12/25 को रेशा हो। P.O. मद्ये प्रशा. कार्य में अस्त है।</p> <p style="text-align: center;">B.O.</p>	
05/25	<p>पत्रावली पैसा हुई। अर्थापन्न अधिवक्ता/ अर्थापन्न अनुपस्थित। प्राची/ प्राची अधिवक्ता ने जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पैसा किया, उनका स्थानान्तरण हो चुका है।</p> <p>चूंकि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Infructuous) होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित होने आदेश सुनाया गया।</p>	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)